मनोहर बलवानी
कम्पनी सचिव
MANOHAR BALWANI
Company Secretary

पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड
POWER FINANCE CORPORATION LTD.
(भारत सरकार का उपक्रम) (A Govt. of India Undertaking)

सं.:1:05:138:II: सीएस
दिनांक: 19 मार्च 2019

National Stock Exchange of India Limited, **Listing Department, Exchange Plaza,** **Bandra-Kurla Complex, Bandra (E)** **MUMBAI** - 400051 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू), मुंबई-400051	**Bombay Stock Exchange Limited,** **Department of Corporate Services, Floor-25,** **PJ Towers, Dalal Street,** **MUMBAI** - 400001 बंबई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, कॉर्पोरेट सेवाएं विभाग, फिरोज जीजीभॉय टावर, दलाल स्ट्रीट मुंबई- 400001

विषय: पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के असामान्य आम बैठक की कार्यवाही

महोदय/महोदया,

सेबी (लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियम 30 के अनुसरण में, आज अर्थात दिनांक 19 मार्च 2019 को आयोजित कंपनी की असामान्य आम बैठक की कार्यवाही इस पत्र के साथ संलग्न है।

सूचनार्थ एवं रिकॉर्ड हेतु प्रस्तुत।

धन्यवाद,

भवदीय,
कृते पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(मनोहर बलवानी)
कंपनी सचिव
mb@pfcindia.com

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

नई दिल्ली

दिनांक 19 मार्च 2019 को डॉ एसआरकेवीएस सभागार (डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन सभागार), केंद्रीय विद्यालय सं. 2, एपीएस कॉलोनी के समीप, गुड़गाँव रोड, दिल्ली कैंट, नई दिल्ली- 110010 में प्रातः 10.30 बजे आयोजित पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों की असामान्य आम बैठक की कार्यवाही।

1. कंपनी सचिव ने शेयरधारकों और लेखापरीक्षकों का स्वागत किया और शेयरधारकों का सीएमडी एवं निदेशकों से परिचय करवाया।

2. कंपनी सचिव ने अध्यक्ष को गणपूर्ति (कोरम) की उपस्थिती की पुष्टि की, जिन्होंने बैठक को शुरू करने की घोषणा की।

3. अध्यक्ष ने शेयरधारकों को संबोधित किया और उन्हें दिनांक 20 फरवरी 2019 की ईजीएम की सूचना में व्यवसाय संबंधी प्रस्तावित संकल्प के उद्देश्य को समझाया।

4. कंपनी सचिव ने असामान्य आम बैठक (ईजीएम) की सूचना घोषित की।

5. कंपनी सचिव ने शेयरधारकों को सूचित किया कि लिस्टिंग विनियम सहित कंपनी अधिनियम 2013 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014 के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी ने कट ऑफ तारीख अर्थात 13 मार्च 2019 को दिनांक 16 मार्च 2019 से 18 मार्च 2019 तक तीन दिन की अवधि के लिए सदस्यों को रीमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान की ताकि वे दिनांक 20 फरवरी 2019 की ईजीएम सूचना में उल्लिखित मद पर इलेक्ट्रोनिक वोटिंग करने में सक्षम हो सकें। श्री सचिन अग्रवाल, व्यावसायिक कंपनी सचिव और श्रीमति करिश्मा सिंह, व्यावसायिक कंपनी सचिव को रीमोट ई-वोटिंग एवं इंस्टा पॉल के उद्देश्य से संयुक्त संवीक्षक नियुक्त किया गया।

इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया गया कि जिन शेयरधारकों ने रीमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दे दिया है उन्हें बैठक में पुनः वोटिंग करने की आवश्यकता नहीं है।

6. तत्पश्चात, जिन शेयरधारकों ने रीमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट नहीं दिया था उनसे अनुरोध किया गया कि वे संकल्प कि घोषणा के बाद ईजीएम में प्रदान कि गई इलेक्ट्रोनिक वोटिंग सिस्टम सुविधा अर्थात इंस्टा पॉल के माध्यम से अपना वोट दें।

7. सूचित किया गया था कि श्री सचिन अग्रवाल, व्यावसायिक कंपनी सचिव एवं श्रीमति करिश्मा सिंह, व्यावसायिक कंपनी सचिव, संयुक्त संवीक्षक द्वारा वोटिंग की संवीक्षा की विधिवत प्रक्रिया के बाद अध्यक्ष द्वारा अपना अनुमोदन प्रदान करने के पश्चात रीमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया के साथ इंस्टा पॉल के परिणाम को कंपनी की वेबसाइट पर पोस्ट किया जाएगा।

8. आरईसी लिमिटेड में सरकार के स्टेक के अधिग्रहण से संबंधित संबद्ध पक्षकार लेन-देन (आरपीटी) के अनुमोदन हेतु संकल्प को बैठक में संपादित किया गया था।

9. शेयरधारकों ने संकल्प पर इंस्टा पॉल के माध्यम से अपना वोट दिया।

10. कंपनी सचिव द्वारा अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

11. तत्पश्चात अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक के समापन की घोषणा की गई।

कृते पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(मनोहर बलवानी)
कंपनी सचिव
mb@pfcindia.com